भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 50

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
4 अग्रहायण, 1946 (शक)

आंध्र प्रदेश में खेलो इंडिया योजना

50. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिलावार तरीके से, विशेष रूप से नेल्लोर और प्रकाशम जिले में वर्तमान में विद्यमान/निर्माणाधीन / स्थापित किए जाने वाले कुल खेल अवसंरचना / केंद्रों/स्टेडियमों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिलावार तरीके से, विशेष रूप से नेल्लोर और प्रकाशम जिले में, उपरोक्त निर्दिष्ट केंद्रों/स्टेडियमों/परिसरों के पूर्ण होने/रखरखाव के प्रयोजनों के लिए पिछले पांच वर्षों में आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में खेल केंद्रों/स्टेडियमों/परिसरों के लिए केंद्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूरे भारत में खेलो इंडिया के अंतर्गत स्थापित केंद्रों/स्टेडियमों/परिसरों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कोई गतिविधियां/अभियान चलाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उन पर विचार करने और उनके समापन के लिए कोई प्रस्तावित समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और प्रकाशम जिलों सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी स्वीकृत लागत, जारी धनराशि और

उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण https://mdsd.kheloindia.gov.in डैशबोर्ड पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल केंद्रों/स्टेडियमों/परिसरों के निर्माण सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर स्कीम के तहत उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html डैशबोर्ड पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(घ) खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व अनुदान प्राप्तकर्ता का है। केंद्र सरकार केवल वित्तीय सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है।

(ङ.) खेलो इंडिया स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा इसकी मंजूरी की तारीख से दो वर्ष है। परियोजनाओं के निष्पादन का उत्तरदायित्व अनुदान प्राप्तकर्ता का होती है।

*****